कृषि निदेशालय, बिहार, पटना

कृषि भवन , मीठापुर, पटना - 800001
ई-मेल–diragri-bih@nic.in वेबसाइट –state.bihar.gov.in/krishi/CitizenHome दूरभाष /फैक्स– 0621-2215895

पत्रांक- मो० –48 / 2024(सांख्यिकी) 4657 दिनांक - 7 अक्टूबर, 2024

प्रेषक,

नितिन कुमार सिंह, *भा०प्र०से०,*
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी।
सभी जिला कृषि पदाधिकारी।

विषय : **खरीफ 2024 के सितम्बर माह में हुई वर्षापात से गंगा, कोसी तथा अन्य नदियों के जल स्तर में हुई अप्रत्याशित वृद्धि से आई बाढ़ के कारण 33% से अधिक क्षतिग्रस्त फसलों के लिए कृषि इनपुट अनुदान की राशि का प्रत्यक्ष लाभ अन्तरण के माध्यम से वितरण हेतु संशोधित क्रियान्वयन अनुदेश ।**

प्रसंग : कृषि निदेशालय, बिहार, पटना का पत्रांक 4626 दिनांक 05.10.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा **खरीफ 2024 के सितम्बर माह में हुई वर्षापात से गंगा, कोसी तथा अन्य नदियों के जल स्तर में हुई अप्रत्याशित वृद्धि से आई बाढ़ से हुई फसल क्षति** के कारण प्रतिवेदित जिलों के प्रतिवेदित प्रखण्डों के प्रतिवेदित पंचायतों में प्रभावित फसलों के लिए कृषि इनपुट अनुदान योजना का प्रत्यक्ष लाभ अन्तरण के माध्यम से वितरण हेतु क्रियान्वयन अनुदेश निर्गत किया गया था। उक्त क्रियान्वयन अनुदेश के कतिपय कंडिकाओं में आवश्यक संशोधन करते हुए संशोधित क्रियान्वयन अनुदेश उपलब्ध कराया जा रहा है। अनुरोध है कि संशोधित क्रियान्वयन अनुदेश के अनुरूप कृषि इनपुट अनुदान योजना का कार्यान्वयन कराने की कृपा की जाय।

अनु० : यथोक्त।

विश्वासभाजन
7.10.24
कृषि निदेशक,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 4657 /कृ0, पटना, दिनांक 7/10/ 2024

प्रतिलिपि : संबंधित प्रमण्डलीय संयुक्त निदेशक (शष्य)/संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

7.10.24
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 4657 /कृ0, पटना, दिनांक 7/10/ 2024

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, डी० बी० टी० कोषांग, कृषि विभाग, बिहार, पटना/उप निदेशक(शष्य) सूचना, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

7.10.24

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 4657 /कृ0, पटना, दिनांक 7/10/ 2024

प्रतिलिपि : संबंधित जिलों के प्रभारी प्रधान सचिव/सचिव/प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/उप मुख्यमंत्री–सह–वित्त मंत्री, बिहार के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

7.10.24

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

बिहार सरकार

कृषि विभाग

कृषि इनपुट अनुदान योजना
(वर्ष 2024 खरीफ मौसम)
संशोधित क्रियान्वयन अनुदेश

खरीफ 2024 के सितम्बर माह में हुई वर्षापात से गंगा, कोसी तथा अन्य नदियों के जल स्तर में हुई अप्रत्याशित वृद्धि से आई बाढ़ के कारण 33% से अधिक क्षतिग्रस्त फसलों के लिए कृषि इनपुट अनुदान की राशि किसानों के बैंक खाते में अन्तरण।

1. योजना का लाभ :

1.1 राज्य में खरीफ 2024 में सितम्बर माह में हुई वर्षापात से गंगा, कोसी तथा अन्य नदियों के जल स्तर में वृद्धि तथा पड़ोसी राज्यों एवं नेपाल में हुई अतिवृष्टि से उत्पन्न बाढ़ से हुई फसलों की क्षति को देखते हुए प्रतिवेदित जिलों के प्रतिवेदित प्रखंडों/पंचायतों में कृषि इनपुट अनुदान देने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है। यह अनुदान राज्य सरकार द्वारा स्थानीय आपदाओं के अधीन निर्धारित सहाय्य मापदंडों के अनुरूप दिया जायेगा।

1.2 **खरीफ 2024 के सितम्बर माह में हुई वर्षापात से गंगा, कोसी तथा अन्य नदियों के जल स्तर में हुई अप्रत्याशित वृद्धि से आई बाढ़ से हुई फसल क्षति के लिए निम्न रूप से अनुदान देय होगा :–**

a) वर्षाश्रित (असिंचित) फसल क्षेत्र के लिए 8500 रूपये प्रति हेक्टेयर।

b) सिंचित क्षेत्र के लिए 17000 रूपये प्रति हेक्टेयर।

c) शास्वत/बहुवर्षीय फसल के लिए 22500 रू० प्रति हेक्टेयर।

1.3 यह अनुदान प्रति किसान अधिकतम दो हेक्टेयर के लिए ही देय होगा, किसानों को इस योजना के अन्तर्गत असिंचित फसल क्षेत्र के लिए न्यूनतम 1000 रूपया, सिंचित फसल क्षेत्र के लिए न्यूनतम 2000 रूपये एवं शास्वत/बहुवर्षीय फसल के लिए न्यूनतम 2500 रूपया अनुदान देय है।

1.4 यह योजना सिर्फ किसान/किसान परिवार के लिए मान्य है। किसान परिवार का अर्थ है:– पति+पत्नी+अवयस्क बच्चे। परिवार के किसी एक सदस्य को ही कृषि इनपुट अनुदान का लाभ देय होगा। पति–पत्नी एवं उनके अवयस्क पुत्र/पुत्री को एक परिवार मानकर उनके द्वारा एक ही आवेदन स्वीकार किया जायेगा। परिवार के विभाजन एवं पृथक परिवार की स्थिति में अलग–अलग आवेदन स्वीकार किया जा सकता है, बशर्ते एक ही भूमि के लिए आवेदन नहीं दिया गया है।

2. अनुदेश :

2.1 इस योजना का लाभ प्रतिवेदित जिलों के प्रतिवेदित प्रखंडों के प्रतिवेदित पंचायत के ऑनलाईन पंजीकृत किसानों को ही दिया जायेगा।

2.2 **वैसे किसान, जो पूर्व में www.dbtagriculture.bihar.gov.in पर पंजीकृत किसान हैं, वे सीधे खरीफ 2024 के सितम्बर माह में हुई वर्षापात से गंगा, कोसी तथा अन्य नदियों के जल स्तर में हुई अप्रत्याशित वृद्धि से आई बाढ़ से हुई फसल क्षति के लिए कृषि इनपुट अनुदान योजना–2024'' https://dbtagriculture.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।**

2.3 अनुदान आवेदन के लिए 13 अंकों का पंजीकरण संख्या भरना अनिवार्य होगा। सही पंजीकरण संख्या अंकित करने की स्थिति में आवेदक को पंजीकरण विवरणी के साथ–साथ आवेदन प्रपत्र **''डिस्प्ले''** होगा।

2.4 **अनुदान की राशि आधार से जुड़े बैंक खाते में ही अंतरित की जायेगी। अगर बैंक खाता आधार संख्या से जुड़ा नहीं होगा, तो वैसे किसानों को इस योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा।**

ऑनलाईन आवेदन की सुविधा :

- किसान स्वयं अपने मोबाईल/लैपटॉप से या नजदीकी कॉमन सर्विस सेन्टर/कम्प्यूटर सेन्टर/वसुधा केन्द्र से अनुदान के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- **कृषि इनपुट अनुदान** हेतु ऑनलाईन आवेदन निम्न प्रकार करने के लिए किसान स्वतंत्र है–
  - किसान अपने मोबाईल/लैपटॉप से कर सकते है– निःशुल्क।
  - प्रखंड स्थित ई– किसान भवन में निःशुल्क करा सकते हैं।
  - कॉमन सर्विस केंद्र/वसुधा केंद्र पर करा सकते हैं।
  - अन्य किसी कम्प्यूटर सेन्टर से अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं।

3. ऑनलाईन आवेदन की विधि :

3.1 किसान, कृषि विभाग के वेबसाईट **dbtagriculture.bihar.gov.in** पर उपलब्ध **प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, कृषि विभाग, बिहार सरकार के पेज पर 'ऑनलाईन आवेदन करें' मेनू को क्लिक करने पर ड्रॉप डाउन में प्रदर्शित मेनू '' खरीफ 2024 के सितम्बर माह में हुई वर्षापात से गंगा, कोसी तथा अन्य नदियों के जल स्तर में हुई अप्रत्याशित वृद्धि से आई बाढ़ से हुई फसल क्षति के लिए कृषि इनपुट अनुदान योजना–2024''पर क्लिक करेंगे।**

3.2 **''खरीफ 2024 के सितम्बर माह में हुई वर्षापात से गंगा, कोसी तथा अन्य नदियों के जल स्तर में हुई अप्रत्याशित वृद्धि से आई बाढ़ से हुई फसल क्षति के लिए कृषि इनपुट अनुदान योजना** अन्तर्गत अनुदान प्राप्त करने हेतु आवेदन के लिए 13 अंकों का पंजीकरण संख्या भरना अनिवार्य होगा। सही पंजीकरण संख्या अंकित करने की स्थिति में आवेदक को पंजीकरण विवरणी के साथ–साथ आवेदन प्रपत्र **''डिस्प्ले''** होगा।

3.3 **''खरीफ 2024 के सितम्बर माह में हुई वर्षापात से गंगा, कोसी तथा अन्य नदियों के जल स्तर में हुई अप्रत्याशित वृद्धि से आई बाढ़ से हुई फसल क्षति के लिए कृषि इनपुट अनुदान योजना** हेतु आवेदन के लिए किसान सर्वप्रथम कुल जमीन की प्रविष्टि करेंगे। यह योजना प्रभावित क्षेत्रों के किसानों को अधिकतम 2 हेक्टेयर के लिए अनुमान्य होगा।

3.4 **किसान को तीन श्रेणियों** (स्वयं भूधारी, वास्तविक खेतिहर, स्वयं भूधारी + वास्तविक खेतिहर) में बाँटा गया है। किसान किसी एक श्रेणी के लिए ही आवेदन कर सकेंगे। **एक खेत के लिए एक हीं व्यक्ति को अनुदान की राशि देय है, चाहे जमीन का**